न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल आर एक्ट संख्या :-28/2017/ टोंक

श्री रामनिवास पुत्र कल्याण
श्री शंकर पुत्र रामनिवास
श्री रामबाबू पुत्र अमोलक चन्द
श्री सुरज्ञान उर्फ श्री नारायण पुत्र कल्याण
श्री रूपनाराण पुत्र कल्याण
समस्त जाति ब्राम्हण, निवासी चैनपुरा,तह0 निवाई, जिला टोंक।

--प्रार्थी

बनाम

ओंकार पुत्र काना
रामेश्वर पुत्र छितर
सीताराम पुत्र छितर
राजाराम पुत्र छितर
लक्ष्मीप्रसाद पुत्र छितर
राधेश्याम पुत्र कल्याण
गजानन्द पुत्र कल्याण
समस्त जाति ब्राम्हण, निवासी चैनपुरा, तह0 निवाई, जिला टोंक।
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 निवाई, जिला टोंक।

——अप्रार्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी निवाई, दिनांक 14.02.2017 प्रार्थना पत्र संख्या 60/2010 उनवानी ओंकार बनाम रामनिवास।

उपस्थित अभि0ः–गिरीश शर्मा (वकील अपी0)
रेस्पो0 अभि0ः– हेमराज गुप्ता
राजकीय अभि0ः–आकाश पारीक

निर्णय

दिनांकः–28.02.2022

रेस्पो0 द्वारा उपखण्ड अधिकारी निवाई न्यायालय में अपीलांट के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया था। जिसके अनुसार ग्राम चैनपुरा के खसरा नम्बर 31 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा में एक चाह बना हुआ है। उक्त चाह तक पहुंचने के लिए खसरा नम्बर 112/1/3 एवं खसर नम्बर 30/1/1 जो कि सिवायचक भूमि है से होकर पहुंचते है। अपीलांट उक्त सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण कर रहे है तथा खसरा न0 112/1/3 एवं 30/1/1 में से होकर गुजरने वाले रास्ते की तरमीम की जाये। विपक्षीगण द्वारा जवाब में कहा है कि रास्ते संबंधित विवाद धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत निर्णित नहीं किये जा सकते है। अपितु धारा 251 के तहत कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र लगाया जाना चाहिए। वर्तमान अपीलांट द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिन पर दिनांक 14.02.2017 को बहस सुनने के बाद निर्णय देते हुए आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया तथा तहसीलदार निवाई को सरकारी भूमि से रास्ता तरमीम करने का निर्देश भी दिया। जिससे [illegible] होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई।

अपीलांट द्वारा मुख्य रूप से निर्णय को क्षेत्राधिकार से परे होने तथा प्लीडिंग से परे जाकर रास्ते तरमीम का आदेश दिया जाना माना है। निर्णय विरोधाभासी है। अतः निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:36:56 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 14.02.2017 को निरस्त किया जाये। नया रास्ता धारा 136 के प्रावधानों के तहत नहीं किया जा सकता है। अतः निर्णय नॉनस्पीकिंग होने से खारिज किया जाये।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ एक स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुसार उपखण्ड अधिकारी निवाई के निर्णय की आड़ में रेस्पो0 प्रार्थी को खातेदारी भूमि से बेदखल करने से आमादा है। अतः रिपोर्ट मौके की यथास्थिति बनाई जाये। अन्यथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। स्थगन आदेश के समर्थन में अपीलांट द्वारा अपना शपथ पत्र दिया गया।

अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 28.03.2017 को प्रस्तुत की गई। अपील मीमो का अवलोकन किया गया। न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब किया जाकर प्राप्त किया गया। अपील के साथ अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र नहीं लगाया गया।

बहस उभय पक्ष वकील सुनी गई, मौखिक पक्ष में वकील अपीलांट द्वारा बताया गया कि रेस्पो0 1 से 7 के द्वारा धारा 136 एल आर एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। खसरा नम्बर 31 में एक चाह बना हुआ है। जिस पर पहुंचने के लिए उन्हें सिवायचक भूमि में से होकर आना पड़ता है। रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी ने स्वीकार किया है। क्योंकि धारा 136 का प्रार्थना पत्र मेण्टीनेबल नहीं था। रेस्पो0 को धारा 251 आर टी एक्ट में जाना था। रेस्पो0 द्वारा कोई अपील नहीं की गई है। वकील रेस्पो0 के अनुसार सिवायचक आम रास्ते का पता होने पर एस0डी0ओ ने निर्णय दिया है तथा जो आदेश दिया है वह सिवायचक भूमि के लिए दिया गया है। अपीलांट किस प्रकार से व्यथित पक्ष है यह स्पष्ट नहीं है। सरकारी अभिभाषक के अनुसार प्रस्ताव तैयार करने के आदेश मात्र दिये गये है। कोई एक्जीक्युशन नहीं किया गया है।

सर्वप्रथम स्थगन प्रार्थना पत्र पर निर्णय किया जाना उचित है। अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र में किसी खसरा न0 का उल्लेख नहीं किया गया। विवादित खसरा न0 सिवायचक खसरा नम्बर होने से अपीलांट का प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं बनता है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण के अभाव में सुविधा का संतुलन बिन्दु एवं अपूरणिय क्षति के बिन्दु अपीलांट के पक्ष में नहीं माने जा सकते है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। न्यायालय का यह मानना है कि पूर्व आदेश द्वारा उपखण्ड न्यायालय निवाई क्षैत्राधिकार से परे तथा नॉनस्पीकिंग आदेश था। उक्त प्रकरण धारा 136 एल आर एक्ट में चलने योग्य नहीं था। मगर इसे दर्ज किया जाकर निर्णय किया गया। ऐसे प्रकरणों में धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत प्रार्थना करना आवश्यक नहीं है। अतः रेस्पो0 वकील का यह आक्षेप खारिज किया जाता है।

रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जो कि उनके द्वारा उपखण्ड न्यायालय में प्रस्तुत किया था। उसके अनुसार आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट बाबत् तरमीम किये जाने शीट हेडिंग से प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रार्थना पत्र के अन्त में खसरा न0 31 तक पहुंचने हेतु रास्ता पुख्ता तरमीम किये जाने का अनुतोष मांगा है। यह भी अंकित किया गया है कि उक्त रास्ता 112/1/9, 30/3 में से होकर खसरा न0 80/1/1 में से होकर खसरा न0 31 तक पहुंचता है। जवाब में वर्तमान अपीलांट द्वारा मुख्य रूप से यह अवगत कराया कि धारा 136 एल आर एक्ट में कार्यवाही करके रास्ता चिन्हित या दुरुस्त नहीं कराये जा सकते है। पूर्व में भी तहसीलदार निवाई के आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी। जिसे जिला कलक्टर टोंक के द्वारा दिनांक 30.08.1994 को आदेश देते हुए तहसीलदार निवाई के आदेश को निरस्त कर दिया। उक्त प्रार्थना पत्र में सुनवाई के दौरान वर्तमान अपीलांट सुरज्ञान के द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:36:56 IST
Reason: SelfAttested

आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एवं धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र धारा 136 एल आर एक्ट को निरस्त करने के लिए निवेदन किया। क्योंकि आवेदक के अनुसार धारा 136 एल आर एक्ट में रास्ता सृजित नहीं किया जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 14.02.2017 को देखा गया **''उभय पक्षो की बहस का मनन व दस्तावेजो का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा आवेदन प्रार्थीगण खारिज किया जाता है तथा प्रतीपक्षीय संख्या 7 तहसीलदार निवाई को आदेश दिये जाते है कि सरकारी भूमि से आम रास्ता खातेदारी भूमि में से जा रहा है। नियमानुसार प्रस्ताव तैयार कर तरमीम करावें एवं सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को नियमानुसार हटवाने की कार्यवाही की जायें।''**

स्पष्ट है कि अपीलाधीन प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी द्वारा यह माना गया था कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट नक्शा शीट में तरमीम बाबत् चलने योग्य नहीं है। अपीलांट द्वारा रास्ता दर्ज करने बाबत् अनुतोष चाहा था। जबकि रेस्पो0 द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र धारा 136 एल आर एक्ट को क्षैत्राधिकार में न होने से खारिज किये जाने की मांग की, बाद बहस आदेश 7 नियम 11 ,धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया था अर्थात रेस्पो0 के पक्ष को स्वीकार किया जाना माना था। मगर आदेश के अन्त में रास्ता दर्ज करने के निर्देश भी दे दिया। जो कि आपस में विरोधाभासी है। अतः न्यायालय का यह मानना है कि उपखण्ड अधिकारी का आदेश दिनांक 14.02.2017 विरोधाभासी होने, क्षैत्राधिकार के परे होने से खारिज योग्य पाया जाता है।

धारा 151 सीपीसी का अवलोकन किया गया। धारा 151 में यह प्रावधान किया गया है कि न्याय के उद्देश्यो के लिए या न्यायालय की आदेशिका के दुरूपयोग का निवारण करने के लिए ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो कि परिस्थितियों के अनुकूल हो न्याय हित में कोई भी कार्यवाही इस धारा के तहत संपन्न की जा सकती है जिसके बारे में संहिता मौन है। धारा 151 के तहत एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है। मगर उक्त प्रकरण में उपखण्ड न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षकार उपस्थित थे तथा रास्ता दर्ज करने हेतु पृथक से नियम धारा बने हुए है। जिसका उपयोग करते हुए रास्ता दर्ज किया जाना चाहिए था। मगर उपखण्ड न्यायालय अधिकारी द्वारा उपलब्ध प्रावधानो के होते हुए धारा 151 सीपीसी का सहारा लिया है जो कि गलत है। एकतरफ उपखण्ड न्यायालय द्वारा ऑर्डर 7 रूल 11 धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। दूसरी ओर रास्ता दर्ज करने के लिए तरमीम एवं अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही बाबत भी निर्णय लिया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में न्यायालय का यह मानना है कि वर्तमान अपीलांट द्वारा उपखण्ड न्यायालय में आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र एवं धारा 151 सीपीसी एक ही साथ एक ही प्रार्थना पत्र से प्रस्तुत किये गये थे। जो कि एक साथ ही निर्णित होने थे मगर उपखण्ड अधिकारी द्वारा रेस्पो0 के पक्ष में निर्णय भी दिया गया तथा तत्कालीन अपीलांट की बात भी मान ली गई, जो कि विरोधाभासी है।

मौखिक बहस के दौरान रेस्पो0 ने यह बिन्दु उठाया है कि वर्तमान अपीलांट किस प्रकार व्यथित है, न्यायालय का यह मानना है कि रेस्पो0 ने उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में स्वयं ने वर्तमान अपीलांट को पक्षकार बनाया हुआ है। इस बिन्दु पर अपील के स्टेज पर आक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अतः रेस्पो0 का यह आक्षेप खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:36:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय वकील रेस्पो0 की इस बात से सहमत नहीं है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश आम रास्ते को बंद करने की सूचना मिलने पर सिवायचक भूमि हेतु दिया। प्रायः ऐसे मामलों में प्रशासनिक कार्यवाही के द्वारा अतिक्रमण हटाया जाता है। इसके लिये धारा 136 के

प्रार्थना पत्र का उपयोग नहीं किया जाता है। वकील रेस्पो0 का यह आक्षेप खारिज किया जाता है।

सारांशतः उपखण्ड न्यायालय अधिकारी निवाई द्वारा क्षैत्राधिकार से परे जाकर नॉनस्पीकिंग आदेश पारित किया गया था जो खारिज योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय (**उपखण्ड अधिकारी निवाई, दिनांक 14.02.2017 प्रार्थना पत्र संख्या 60/2010 उनवानी ओंकार बनाम रामनिवास**) सारहीन होने से खारिज की जाती है।

यह आदेश आज दिनांक 28.02.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:36:56 IST
Reason: SelfAttested

<u>न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर</u>

<u>रामनिवास बनाम ओंकार</u>

दिनांकः—25.05.2022

अपीलांट की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 एवं 152 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा विचाराधीन अपील में दिनांक 28.02.2022 को निर्णय पारित किया गया था। जिसमें उपखण्ड अधिकारी निवाई का निर्णय दिनांक 14.02.2017 प्रकरण संख्या 60/2010 ओंकार बनाम रामनिवास नये दिये गये निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी। जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय के पेज संख्या 5 के दूसरे पैरा में यह अंकित किया गया कि सारांशतः उपखण्ड न्यायालय अधिकारी निवाई द्वारा क्षैत्राधिकार से परे जाकर नॉनस्पिकिंग आदेश जारी किया गया था जो खारिज योग्य है।

निर्णय के पेज संख्या 5 के द्वितीय पैरा के पश्चात क्रियात्मक आदेश में न्यायालय द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध निर्णय (उपखण्ड अधिकारी निवाई) दिनांक 14.02.2017 प्रार्थना पत्र संख्या 60/2017 उनवानी ओंकार बनाम रामनिवास, अपील स्वीकार की जाने की जगह सारहीन होने से खारिज की जाती है के आदेश जारी कर दिये। उक्त त्रुटि लिपिकीय होने से माननीय न्यायालय उचित समझे तो संशोधन किये जाने का आदेश प्रदान किया जायें।

उक्त बिन्दु पर माननीय न्यायालय सुमोटो नजरसानी याचिका प्रस्तुत करने का क्षैत्राधिकार रखते है साथ ही निवेदन है कि माननीय न्यायालय द्वारा की गई त्रुटि धारा 151 व 152 के तहत दुरूस्ती योग्य नहीं मानते है तो उक्त प्रार्थना पत्र को नजरसानी प्रार्थना पत्र के रूप में स्वीकार किये जाने के आदेश दिये जायें। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र भी दिया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 22.03.2022 को प्रस्तुत कर दिया गया तथा इसकी कॉपी पूर्व में दिनांक 16.03.2022 को वकील अप्रार्थी को दिया जाना पाया गया। बहस उभयपक्ष अभि0 सुनी गई, वकील रेस्पो0 द्वारा बहस में बताया कि धारा 151 एवं 152 सीपीसी के फैसले बहुत लिमिटेड है प्रार्थना पत्र खारिज किया जायें। वकील अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया। धारा 151 और 152 सीपीसी का अवलोकन किया गया। धारा 151 के अनुसार —**न्यायालय की अंतरनिहित शक्तियों व्यावृति**— कि संहिता की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जायेगा कि वह ऐसे आदेशो के देने की न्यायालय की अंतरनिहित शक्ति को परिसिमित या अन्यथा प्रभावित करती है। जो न्याय के उददेश्यों के लिये या न्यायालय की आदेशिका के उपयोग का निवारण करने के लिए आवश्यक है। धारा 152—**निर्णयों ,डिक्रीयों या आदेशों का संशोधन**—निर्णयों, डिक्रीयों या आदेशों में की लेखन या गणित संबंधित भूलें या किसी आकस्मिक भूल या लोक से उसमें हुई गलतीयां या न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी भी समय शुद्ध की जा सकेगी।

वकील अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित विवरण के आधार पर न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.02.2022 को देखा गया, इसके पेज संख्या 5 के दूसरे पैरा के अनुसार

सारांशतः उपखण्ड न्यायालय अधिकारी निवाई द्वारा क्षैत्राधिकार से परे जाकर नॉनस्पीकिंग आदेश पारित किया गया था जो खारिज योग्य है।

निर्णय के पेज संख्या 5 के द्वितीय पैरा के पश्चात क्रियात्मक आदेश के अनुसार अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय (**उपखण्ड अधिकारी निवाई, दिनांक 14.02.2017 प्रार्थना पत्र संख्या 60/2010 उनवानी ओंकार बनाम रामनिवास**) सारहीन होने से खारिज की जाती है को टाइप किया गया है। न्यायालय वकील प्रार्थी की बात से सहमत है कि निर्णय के विश्लेषण में उपखण्ड अधिकारी निवाई के आदेश दिनांक 14.02.2017 को नॉनस्पिंकिंग आदेश मानते हुए अपीलाधीन आदेश को खारिजी के योग्य माना था मगर क्रियात्मक आदेश में सहवन से अपील को स्वीकार करने की जगह खारिज किया जाना अंकित कर दिया गया। जो मानवीय लिपिकीय त्रुटि होने से सुधारे जाने के योग्य है। धारा 152 सीपीसी भी ऐसी गलती को सुधारने के प्रावधान करती है। अतः अपीलांट/प्रार्थी के उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 15:36:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में सुनाया गया निर्णय दिनांक 28.02.2022 के कियात्मक आदेश में संशोधन करते हुए अपील को स्वीकार किया जाता है।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:36:56 IST
Reason: SelfAttested